

Other employees are being considered for regularisation.

No employee was appointed on ad-hoc basis in JCB came on deputation.

No ad-hoc appointee, subsequently regularised, has since been confirmed.

(b) and (c). The ad-hoc appointments of 2 Officers in Group 'A' were regularised in accordance with the relevant Recruitment Rules. The 12 officials in Group 'B' (non-Gazetted) mentioned in reply to part (a) had put in satisfactory service for more than 9 years as Technical Assistants on ad-hoc basis and, therefore, they deserved special consideration for appointment on regular basis by relaxation of the recruitment rules as explained in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 552 answered on 19-7-1978.

#### काम पर लगे नैमित्तिक कर्मचारी

220. श्री एच० ए० हजान अल्लहाम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बुकिंग कार्य के मामले में कुछ नैमित्तिक कर्मचारी एक निर्धारित अवधि में एक विशिष्ट सूत्र के अन्तर्गत अर्पित दिनों की सख्या पूरी कर चुके हैं जब कि उतनी ही अवधि तक काम करने वाले अन्य कर्मचारी वह सख्या पूरी नहीं कर पाये हैं, यदि हाँ, तो क्या इस बारे में कोई जाँच की जायेगी और इसके लिए क्या समाधान खोजा गया है; और

(ख) क्या 31 मई, 1977 से पहले से काम करने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के उद्देश्य से इन सम्बन्ध में पुनर्चयन के लिए तथा उनके साथ हुए अन्याय को समाप्त करने के लिए आदेश दिये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी : (क) कलाकारों की कैजुअल बुकिंग 14 दिनों के अनुबन्ध पर तब की जाती है जब कार्य-क्रम की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक हो। आम तौर पर स्वीकृत कैजुअल आर्टिस्टों की सूची रबी जाती है और उनको बारी,

बारी से बुक किया जाता है। तथापि, जब कभी अकस्मात जरूरत पड़ती है तो उस कार्य जिसके लिए उसे बुकिंग दी जाती है, के लिए कैजुअल आर्टिस्ट की उपलब्धि, तत्परता और उपयुक्तता से ही एक वर्ष में कुल दिनों की संख्या का निर्धारण किया जा सकता है। इसलिए, इन बारे में जाँच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) नैमित्तिक आधार पर नियुक्त किसी कलाकार को स्टाफ आर्टिस्ट के रूप में नियमित किए जाने का हकदार नहीं बनाती। तथापि, इस बात को देखते हुए कि बहुत बड़ी संख्या में कैजुअल आर्टिस्ट अनेक वर्षों से कार्य कर रहे थे, सरकार ने यह निर्णय लिया कि जिन्होंने (1) तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 1974-75, 1975-76, और 1976-77 या 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के किसी भी ब्लाक में 365 दिन, या (2) 1974-75, 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान 240 दिन काम किया हो, उनको अनुसूचित जानि/अनुसूचित जनजाति के लिए पदों के आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को लागू करते हुए स्टाफ आर्टिस्टों के रिक्त पदों पर नियमित किये जाने के बारे में विचार किया जा सकता है बशर्ते कि वे इस प्रकार के कैजुअल आर्टिस्ट उन स्टाफ आर्टिस्टों के पदों, जिनके लिए उनके बारे में विचार किया जाना है, पर तैनाती के लिए शैक्षिक रूप से या अन्यथा सुसहित हों। इसलिए इन सम्बन्ध में पुनर्चयन करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीहृदयस्क के मूल्य में स्थिरता लाने के लिए उपाय

2021. श्री विजय कुमार मल्होत्रा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का लौह अयस्क के मूल्य में स्थिरता लाने का विचार है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या योजना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुन्डा) : (क) और (ख) . देश में इस्पात कारखाने लौह अयस्क की अपनी आवश्यकता मुख्यतः अपनी रचित खानों से पूरी करते हैं और बहुत कम मात्रा (5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक) खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मार्फत निजी खान मालिकों से प्राप्त की जाती है। लौह अयस्क का नियमित खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है और नियंत्रण के लिए लौह अयस्क की प्राप्ति के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा दी गई कीमत अर्थात् तक विषयवार बसूल की गई कीमत पर निर्भर करती है।